

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 30/2025

(Bank Case)

GCMS No. 2025/206

"आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड" (जो पूर्व हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) जिसका मुख्य व्यवसायिक कार्यालय- 201-202, द्वितीय तल, साउथ एण्ड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-302020 में स्थित व कार्यरत है। जयें प्राधिकृत अधिकारी श्री अंकुर सिंह।

- प्रार्थी /सिक्वोर क्रेडिटर

## बनाम

- श्री प्रमोद कुमार सोनी पुत्र श्री गिरीराज सोनी - (ऋणी/बंधककर्ता)  
पता- 320, गणेश नगर, रंगबाडी, आनन्दपुरा फूटा तालाब, तह0- लाडपुरा, जिला- कोटा (राज0) 324005  
दूसरा पता- मकान/पट्टा नम्बर 75-ए, सुभाष नगर योजना, ब्लॉक-ए, जिला- कोटा (राज0)
- श्रीमती राधा सोनी पत्नी श्री प्रमोद सोनी - (सह-ऋणी)  
पता- मकान नं0 4 एफ 32, रंगबाडी योजना, आनन्दपुरा फुटा तालाब, पीआईपी, जिला- कोटा (राज0) 324005

- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित:-

श्री अमर सिंह नरुका, अभिभाषक प्रार्थी

## आदेश

दिनांक: 18.02.2026

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी "आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड" (जो पूर्व हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) जिसका मुख्य व्यवसायिक कार्यालय- 201-202, द्वितीय तल, साउथ एण्ड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-302020 में स्थित व कार्यरत है। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 18.06.2022 को रूपये 10,25,173/- रूपये (अक्षरे: दस लाख पच्चीस हजार एक सौ तिहत्तर रूपये मात्र) एवं दिनांक 06.03.2023 को रूपये 2,09,055/- रूपये (अक्षरे: दो लाख नौ हजार पचपन रूपये मात्र), इस प्रकार कुल ऋण रूपये 12,34,228/- (अक्षरे: बारह लाख चौतीस हजार दो सौ अठ्ठाईस रूपये मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्वोरिटी के रूप में श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री गिरीराज सोनी की एक आवासीय सम्पत्ति मकान/पट्टा नम्बर 75-ए, सुभाष नगर योजना, ब्लॉक-ए, जिला- कोटा (राज0) में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 40.5 वर्ग मीटर है। जो जयें रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 19.7.2022 से श्री प्रमोद सोनी के नाम जारी शुदा है। जिसकी चर्तु:सीमाएँ पूरब में- प्लॉट नं0 73, पश्चिम में- रोड 9 मीटर, उत्तर में- मकान नं0 76, दक्षिण में- मकान नं0 74, को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 03.10.2025 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा उसके खातों में 13,25,441/- (अक्षरे: तेरह लाख, पच्चीस हजार चार सौ इकतालीस रूपये मात्र) बकाया रकम दिनांक 03.10.2025 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 06.10.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा

भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 06.10.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्त के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 06.10.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्त के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधकर्ता श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री गिरीराज सोनी की एक आवासीय सम्पत्ति मकान/पट्टा नम्बर 75-ए, सुभाष नगर योजना, ब्लॉक-ए, जिला- कोटा (राज०) में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 40.5 वर्ग मीटर है। जो जर्ज रजि० विक्रय पत्र दिनांक 19.7.2022 से श्री प्रमोद सोनी के नाम जारी शुदा है। जिसकी चर्तुःसीमाएँ पूरब में- प्लॉट नं० 73, पश्चिम में- रोड 9 मीटर, उत्तर में- मकान नं० 76, दक्षिण में- मकान नं० 74, का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। इस आदेश की क्रियान्विति आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह बाद की जावे।

आदेश आज दिनांक 18.02.2026 को सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)  
जिला मजिस्ट्रेट कोटा

जिला मजिस्ट्रेट  
कोटा (राज०)